न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 148/2022 दायर दिनाँक 20.06.2022

वादीनी		प्रतिवादी
1. बिमला देवी पत्नि हुक्माराम पुत्री चुनाराम जाति जाट निवासी विजयपुरा (बेरी कलां), हाल निवासी मोड़ियावट तहसील डीडवाना, जिला नागौर राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—
1. श्री हरफुल राव एडवोकेट वादीनी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 20.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी की माता झमकु देवी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि खेत खरसा सं0 263 रकबा 0.8000 हैक्टे0, खसरा सं0 264 रकबा 0.0100 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम बेरी कलां, पटवार हल्का डाबड़ा, भू—अभिलेख निरीक्षक धनकोली, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में अवस्थित है।

यह है कि वादीया की माता को देहान्त दिनांक 01.09.2021 को हो चुका है तथा वादीया के पिता चुनाराम का भी देहान्त हो चुका है तथा वादीया बिमला स्व0 झमकु की एकमात्र विधिक वारिस है।

यह है कि उपरोक्त खेत खसरा सं0 की भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में वादीया के पिता का नाम चतराराम दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादीया के पिता का वास्तविक नाम चुनाराम है जो सही एवं सत्य है।

यह है कि वादीया की माता झमकु देवी की मृत्यु के पश्चात जब वादीया ने अपनी माता के नाम दर्ज खातेदारी के खेत खसरासं0 263 व 264 में फौतगी म्युटेशन दर्ज करवाने गई तो ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में वादीया के पिता का नाम चतराराम अंकित हो रखा है, जबकि माता के अन्य दस्तावेजो आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में वादीया के पिता का नाम चुनाराम अर्थात झमकु देवी पत्नि चुनाराम अंकित है जो वास्तविक व सही नाम है।

प्रार्थना वादीया निम्न प्रकार है:'—

यह है कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 263 रकबा 0.8000 हैक्टे0, खसरा सं0 264 रकबा 0.0100 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम बेरी कलां में वादीया के पिता का नाम चतराराम के स्थान पर चुनाराम अर्थात खातेदारी में झमकु पत्नि चुनाराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुरूप वादीया के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। सरपंच ग्राम पंचायत डाबड़ा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड की प्रति आदि के साथ पेश हुयी, जिसे शामिल मिशल किया गया। उक्त दस्तावेजों के आधार पर वादीया के पिता का नाम चतराराम के स्थान पर चुनाराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वादीनी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम विजयपुरा (बेरी कलां) के खसरा संख्या 263, 264 की खातेदारी में वादीया के पिता का नाम चतराराम के स्थान पर चुनाराम दुरूस्त किया जाकर, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **20.07..2022** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 148/2022 दायर दिनाँक 20.06.2022

वादीनी		प्रतिवादी
1. बिमला देवी पत्नि हुक्माराम पुत्री चुनाराम जाति जाट निवासी विजयपुरा (बेरी कलां), हाल निवासी मोड़ियावट तहसील डीडवाना, जिला नागौर राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 20.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव एडवोकेट वादीनी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादीनी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम विजयपुरा (बेरी कलां) के खसरा संख्या 263, 264 की खातेदारी में वादीया के पिता का नाम चतराराम के स्थान पर चुनाराम दुरूस्त किया जाकर, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 20.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner